

प्रो-फार्मा ४

(भविष्य निवाह निधि से अंतिम निष्कासन (Final Withdrawal) की स्वीकृत प्रदान करने के आदेश का प्रारूप)

कार्यालय ज्ञाप

अधिकारी, गैर उद्योगिता एवं अधिवक्ता
गुजरात

१. एतद्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी बीरेन्द्र कुमार शंभू, पीठासीन को उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या एल०जे०ए० 20924 से 576 का प्रयोजन के चयन वद्वल करने हेतु 20,00,000/- रुपये (शब्दों में) बीस लाख का अंतिम निष्कासन सामान्य भविष्य निधि (उ०प्र०) नियमावली, १९८५ के नियम संख्या 16(4)(A)(b) संपाकत 17(4)(a) के अनुसार स्वीकार किया जाता है।

२. अंतिम निष्कासन की धनराशि श्री/श्रीमती/कुमारी बीरेन्द्र कुमार शंभू के ~~ए~~ पहिले के वेतन अथवा निधि में जमा अवशेष के आधे/तीन चौथाई भाग से अधिक नहीं होगी। मूल नियमावली (फण्डामेंटल रूल) में यथापरिभाषित उनका मूल वेतन 57700-1230-58930-1230-67210 रू० है।

३. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी बीरेन्द्र कुमार शंभू ने दिनांक 18.03.2016 को अपनी सरकारी सेवा के पन्द्रह / बीस वर्ष पूरे कर लिये हैं, १० वर्ष में अधिवार्षिकी पर सेवा निवृत्त होंगे/होंगी।

४. दिनांक 08.11.2021 को उपलब्ध किये गये अभिलेख की स्थिति के अनुसार श्री/श्रीमती/कुमारी बीरेन्द्र कुमार शंभू के खाते में जमा अवशेष राशि का ब्योरा निम्न प्रकार है।

(१) वर्ष <u>2020-21</u> की लेखा-पर्ची/सामान्य भविष्य निधि पास बुक की विवरिका के अनुसार जमा अवशेष की धनराशि	रू०	<u>44,02,143/-</u>
(२) माह <u>अप्रै, 21</u> से माह <u>अक्टूबर, 21</u> तक प्रतिमाह की दर से अभिदात	रू०	<u>2,10,000/-</u>
(३) माह <u>अप्रै</u> से माह <u>अक्टूबर</u> तक प्रतिमाह रू०	रू०	<u>16,803/-</u>
(४) की दर से अग्रिम की वसूली रू०	(क)	<u>+</u>
(५) मद (१), (२) तथा (३) का योग	रू०	<u>46,28,946/-</u>
(६) बाद में स्वीकृत अंतिम निष्कासन, यदि कोई हो	रू०	
(६) स्वीकृत प्रदान करने की तिथि को अवशेष मद	रू०	
(४) में से मद (५) घटाइये	रू०	
(क) वर्ष <u>2020-21</u> की लेखा-पर्ची के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी को पिछली बार आदेश संख्या <u>.....</u> दिनांक <u>.....</u> द्वारा रू० का कोड <u>.....</u> अंतिम निष्कासन स्वीकार नहीं किया गया था।		
(ख) ज्ञात हुआ है कि श्री <u>.....</u> को (जैसा कि उन्होंने बताया) (स्वीकृत कर्ता) द्वारा पिछली बार अंशतः अंतिम निष्कासन के रूप में रू० <u>.....</u> की स्वीकृत प्रदान की गई थी।		

दिनांक

सक्षम अधिकारी,
न्यायाधीश,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।